5 pages

456

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

1/257/2017

ई0पी0नं0–2–24
क्रमांक–257/2017
आरबीई सं0–177/2017
सं0 ई/227/2/भाग–15/चार

दिनांक 5–12–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष,
अध्यक्ष/नरसा
सचिव/नरसा
वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी,
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,
सभी कार्मिक अधिकारी,
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–खेलकूद भर्ती के सम्बन्ध में ट्रायल कमेटी द्वारा दिए गए अंक।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/14/इरेगुलैरिटीज दिनांक 30.11.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड का संदर्भित पत्र दिनांक 31.12.2010 (आरबीई सं0–189(बी)/2010) इस कार्यालय के परिपत्र सं0 का/227/2/भाग–12/चार दिनांक 19.08.2011 (क्रमांक–153/2011) द्वारा पूर्व में परिचालित किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्यधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

RBE No.177/2017
Clarification/Corrigendum No. 87

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2017/E(Sports)/4(1)/14/Irregularities New Delhi, dated 30.11.2017

The General Managers (P),

All Zonal Railways including MER
CLW, DLW, ICF, RCF, RWF, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

विषय: Marks given by the Trial Committee in Sports recruitment.
सन्दर्भ: Board's letter No. Board's letter No.2010/E(Sports)/4(1)/1/Policy dated 31.12.2010 (RBE No. 189B/2010).

Attention is invited to para 8.1.11 of Board's letter No.2010/E(Sports)/4(1)/1/Policy dated 31.12.2010 (amended from time to time) inter-alia specifying that in Talent Scouting mode Sports Recruitment 'Trial Committee' shall give its recommendation in terms of either FIT or NOT FIT by giving the marks (maximum 40 Marks) to the candidates, as per the criteria given below. Each member of Trial Committee will give marks to the candidates in separate sheets and sum of the marks given by all members shall be mentioned in the Trial Report. Marks sheet of each member with his/her signature, must be attached with the Trial Report.

(i)	For game skill, physical fitness & coach's observations during Trails	:	40 Marks
(ii)	FIT Candidate	:	Candidate securing 25 Marks or more
(iii)	NOT FIT Candidate	:	Candidate securing marks below 25.

Similar provision exist for Open Advertisement mode of Sports recruitment in para 8.2.11.5 of the letter ibid.

In a sports recruitment held by one of the Zonal Railways, it has been noticed that the trial committee had allotted marks to candidates at the end of the trial after discussing among themselves. The trial committee members in their assessment declared the two best candidates as FIT indicating thereby rest of the candidates who were not the 'best' (even though good enough to be declared FIT) were not allowed to meet the cut off threshold of 25 marks out of 40.

---/-

The action of the trial committee has been scrutinized by the vigilance and it is found that their action is not appropriate on two counts as under:-

(i) There is no provision for consultation amongst the members of the trial committee before giving the marks to each applicant in the trials. Accordingly; each member of the trial committee should give marks independently in separate sheets.

(ii) The members of the trial committee in the referred case apparently inferred the provisions of the instruction so as to allow only the two 'best' candidates (which matched the numbers of posts to be filled) go for the interview. Thus, the action taken by the Trial Committee, in effect, precluded the possibility of other candidates possessing equal, if not better, achievements to even be considered by the Recruitment Committee. This is not as per the provision of the laid down norms. Each member of the trial has to give the marks separately and the sum of the marks given by all the members will be mentioned in the trial report.

This may be ensured by all concerned during the sports recruitment.

Please acknowledge receipt.

(Bhaskar Roy Choudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

No. 2017/E(Sports)/4(1)/14/Irregularities New Delhi, dated 30.11.2017

Copy to:
1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3, Chelmsford Road, New Delhi.
3. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employee Association, 7-GF, Ground Floor, Rail Bhavan, New Delhi.
4. The General Secretary, All India OBC Railway Employees' Association, Room No.48, Rail Bhavan, New Delhi.

For Secretary/Railway Board

Copy to:
1. The FA&CAO, All Zonal Railways and Production Units.
2. The Hony. General Secretaries, Sports Associations of all Zonal Railways/ Production Units.
3. PPSs/PSs to CRB; MS; AM(S); Adv.(IR); ED/E(N); ED(E); ED/E(Res.); ED/F(E); D/E(N); JD/E(N); JD/E(Rep.)-I&II; JD/E(W); DD/E(N)I&II; DD/E(R)-I&II; DD/F(E)-I,II&III; and E(Rep.)-I,II&III; E(SCT)I&II; E(NG)I&II; and F/E(Spl.) Branches in Board's office.

आरबीई सं. 137/2017
स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 87

4
25/11/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2017/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/14/इर्रेगुलैरिटीज़ नई दिल्ली, दिनांक 30.11.2017

महाप्रबंधक (पी),

सभी क्षेत्रीय रेलें
चि.रे.का., डी.रे.का., स.डि.का., रे.को.फै., आरडब्ल्यूएफ, मेट्रो रेलवे/कोलकाता,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीएमडब्ल्यू/पटियाला,
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ

विषय: खेल-कूद भर्ती के संबंध में ट्रायल कमेटी द्वारा दिए गए अंक।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 31.12.2010 का पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1 पॉलिसी (आरबीई नं. 189बी/2010).

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 31.12.2010 के पत्र सं. 2010/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/1 पॉलिसी (समय-समय पर संशोधित) के पैरा 8.1.11 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट किया गया था कि खेल-कूद भर्ती संबंधी 'ट्रायल कमेटी', टेलेंट स्काउटिंग मोड में नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार उम्मीदवारों को अंक (अधिकतम 40 अंक) देकर फिट अथवा नॉट फिट के अनुरूप अपनी सिफारिश देगी। ट्रायल कमेटी के प्रत्येक सदस्य उम्मीदवारों को अलग-अलग शीटों पर अंक देंगे और सभी सदस्यों द्वारा दिए गए अंकों के योग का ट्रायल रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा। प्रत्येक सदस्य के हस्ताक्षर सहित उनकी अंक विवरणिका ट्रायल रिपोर्ट के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जाएगी।

(i)	ट्रायल के दौरान खेल कौशल, शारीरिक फिटनेस एवं कोच का पर्यवेक्षण	:	40 अंक
(ii)	फिट उम्मीदवार	:	25 अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार
(iii)	नॉट फिट उम्मीदवार	:	25 से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार

पूर्वोक्त पत्र के पैरा 8.2.11.5 में खेल-कूद भर्ती के खुले विज्ञापन मोड के लिए इसी प्रकार के प्रावधान मौजूद हैं।

....../-

किसी एक क्षेत्रीय रेल द्वारा की गई खेल-कूद भर्ती में यह देखा गया है कि ट्रायल कमेटी ने ट्रायल के ... ने उम्मीदवारों को आपसी विचार विमर्श के बाद अंक आबंटित किए थे। ट्रायल कमेटी के सदस्यों ने ... मूल्यांकन में दो उम्मीदवारों को यह बताते हुए फिट घोषित किया कि बाकी उम्मीदवार 'सर्वश्रेष्ठ' नहीं थे (फिट घोषित किए जाने लायक अच्छे होने के बावजूद) और 40 में से अधिकतम 25 अंक भी प्राप्त नहीं कर सके।

ट्रायल कमेटी की इस कार्रवाई की सतर्कता द्वारा जांच की गई है और निम्नलिखित दो अवसरों पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई उपयुक्त नहीं पाई गई है:-

(i) ट्रायल में प्रत्येक आवेदक को अंक देने से पूर्व ट्रायल कमेटी के सदस्यों के बीच परामर्श करने का कोई प्रावधान नहीं है। तदनुसार, ट्रायल कमेटी के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग शीटों पर स्वतंत्र रूप से अंक देने चाहिए।

(ii) संदर्भित मामले में ट्रायल कमेटी के सदस्यों ने अनुदेशों के प्रावधानों से ऊपरी तौर पर नतीजा ऐसा निकाला कि केवल दो 'उत्कृष्ट' उम्मीदवार (ताकि भरे जाने वाले पदों की संख्या से मेल खा सकें) ही साक्षात्कार के लिए भेजे गए। अतः ट्रायल कमेटी की इस कार्रवाई से अन्य उम्मीदवारों पर बराबर या बेहतर उपलब्धि होने के बावजूद भर्ती समिति द्वारा विचार नहीं किया जा सका। यह निर्धारित मानदंडों के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। ट्रायल कमेटी के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग अंक देने होंगे और सभी सदस्यों द्वारा दिए गए अंकों के योग का ट्रायल रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।

इसे सभी संबंधितों द्वारा खेल-कूद भर्ती के दौरान सुनिश्चित किया जाए।

कृपया पावती दें।

(भास्कर रॉय चौधरी)
उप निदेशक/स्थापना (स्पोर्टस)

सं. 2014/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/14/इर्रेगुलैरिटीज़

नई दिल्ली, दिनांक 30.11.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, 7-जीएफ, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन कुमार

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

RECRUITMENT